अध्याय XII: लेखापरीक्षा के बताने पर सीपीएसई द्वारा वसूलियां तथा सुधार/संशोधन

एयर इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, एसबीआई कैपिटल मार्केट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एसयूडी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

12.1 लेखापरीक्षा द्वारा बताए मामलें में वसूलियां

11 सीपीएसई से संबंधित 13 मामलों में, लेखापरीक्षा ने बताया कि ₹20.82 करोड़ की राशि वसूली के लिए बकाया थी। सीपीएसई के प्रबंधन ने 2017-18 के दौरान ₹19.80 करोड़ (95.10 *प्रतिशत*) की राशि की वसूली की थी जैसाकि **परिशिष्ट-I** में दर्शाया गया है।

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

12.2 लेखापरीक्षा द्वारा बताए मामलें में सुधार/संशोधन

नमूना जांच के दौरान, प्रणाली में नियमों/विनियमों के उल्लंघन तथा कमियों से संबंधित मामले पाए गए तथा प्रबंधन के ध्यान में लाए गए। लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए ऐसे मामलें जहां सुधारात्मक कार्रवाई की गई थी या प्रबंधन द्वारा अपने नियमों/विनियमों में परिवर्तन किए गए थे, का विवरण **परिशिष्ट-II** में दिया गया है।